सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी—रामनिवास जाट, आर.ए.एस

**अपील संख्याः 17/18** **निर्णय दिनांकः 24—07—2019**

1. मोहनराम पुत्र फूसाराम जाति मेघवाल निवासी लिखमादेसर तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

**—बनाम—**

1. श्रीराम पुत्र पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी लिखमादेसर तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीडूँगरगढ़।

—रेस्पोडेन्ट्स

## अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़
## दिनांक 21—03—2018

**उपस्थितः—**

1. श्री नरसाराम जाखड़, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री जयचन्दलाल सारस्वत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्
3. श्री नन्दराम कॉसनिया राजकीय, अभिभाषक

**—निर्णय—**

**1.** अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़ के आदेश दिनांक 21—03—2018 जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा मनमाने व स्वेच्छाधारी तरीके से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होते हुए भी नया रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

**2.** विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

**3.** विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट श्रीराम द्वारा धारा 251 आरटीए

के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि ग्राम लिखमीदेसर के खसरा नम्बर 273 रकबा 3053 हेक्टर भूमि उसकी खातेदारी भूमि है जिसके दक्षिण की तरफ खसरा नम्बर 274, 275, 276 प्रार्थी की पत्नी झूमादेवी की खातेदारी भूमि है। जिस पर पूर्व में रास्ता व सिंचाई की तमाम सुविधा उपलब्ध होते हुए भी बदनियति व स्वार्थपूर्वक अदालत मातहत के समक्ष धारा 251 'ए' आरटीए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलांट की खातेदारी भूमि में से रास्ता स्वीकृत करने की इस्तदुआ की गई। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा धारा 251 'ए' के नियम 69 का अवलोकन व पालना किये बिना ही अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 270 रकबा 3.96 हेक्टर में से पूर्वी सीमा के सहारे—सहारे 5 मीटर चौड़ा व 76 मीटर लम्बा रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया गया है कि जब प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को अपने खेत में आवागमन हेतु पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में नये रास्ते की क्या आवश्यकता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि पर रास्ता कायम करने से पूर्व संबंधित तहसीलदार की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई। जबकि यह विधि का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि रास्ते के प्रकरणों में तहसीलदार स्वयं अथवा जहॉ आवश्यक हो पीठासीन अधिकारी स्वयं मौके का निरिक्षण करते हुए मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार विधि सम्मत निर्णय पारित करें। प्रस्तुत प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रास्ते से संबंधित नियमों की धज्जियॉ उड़ाते हुए एकतरफा तौर पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा उक्त आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार के रिकार्ड का कोई अवलोकन नहीं किया गया है। यदि अदालत मातहत द्वारा तत्समय ऐसा किया जाता तो उनके समक्ष यह स्थिति स्वमेव प्रस्तुत हो जाती की रेस्पोडेन्ट को अपने खेत में आवागमन हेतु पूर्व में अन्य रास्ता उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में धारा 251 'ए' के तहत वैकल्पिक रास्ता या पक्षकार की सुविधा के लिए रास्ता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

चूंकि रेस्पोडेन्ट के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है व वास्तव में इस रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब अपीलांट को मात्र तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग किया जा रहा है।

रेस्पोडेन्ट द्वारा केवल मात्र सुविधा के लिए अपीलांट के मुरब्बे में से रास्ता स्वीकृत कराया गया है। ऐसी स्थिति में जब पूर्व में रास्ता कायम है तो नया रास्ता कायम करने के आदेश 251ए आरटीए के तहत पारित नहीं किये जा सकते। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के पैरा ाा में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि जब अन्य खातेदार के खेत में से होकर रास्ता चाहा गया है तो अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की दशा में नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। वास्तव में मौके पर नये रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब मात्र अपीलांट को तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग करते हुए आदेश जैर अपील दुराभि संधि से प्राप्त किया गया आदेश है जो निरस्त किया जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष धारा 251 ए आरटीए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम लिखमीदेसर के खसरा नम्बर 273 रकबा 3053 हेक्टर भूमि उसकी खातेदारी भूमि है जिसके दक्षिण की तरफ खसरा नम्बर 274, 275, 276 प्रार्थी की पत्नी झूमादेवी की खातेदारी भूमि है। खेत खसरा नम्बर 274, 275 व 276 के पश्चित की तरफ अपीलांट का खेत खसरा नम्बर 270 में से रास्ता स्वीकृत किये जाने की इस्तदुआ किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के मौके की नियमानुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त मौका रिपोर्ट व स्टेट के जवाब में स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि प्रार्थी को रास्ते की अत्याधिक आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा प्राप्त रिपोर्ट व उपलब्ध दस्तावेजात्, नजरी नक्शा के अवलोकन के आधार पर खसरा नम्बर 270 रकबा 3.96 हेक्टर में से पूर्वी सीमा के सहारे—सहारे 5 मीटर चौड़ा व 76 मीटर लम्बा रास्ता कायम करते हुए राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। मुरब्बा नम्बर 181/44 के किला नम्बर 1 अपीलांट/प्रार्थी अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है। अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. प्रस्तुत मामलें में विवादित भूमि का नक्शा एवं राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के खेत खसरा नम्बर 273 तक जाने के लिये प्रस्तावित रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक कटाणी रास्ता नहीं है। अपीलांट ने जिस रास्ते का जिक्र किया है वह कटाणी न होकर कदीमी चालू रास्ता बताया है। मुख्य सड़क से खसरा नम्बर 273 में जाने के लिये रास्ते की मांग की गई परन्तु कदीमी रास्ते से सड़क को जोड़ने के लिये प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट स्वयं के खेत खसरा नम्बर 274, 275 में रास्ते के अंकन के बारे में परीक्षण न्यायालय के निर्णय में कुछ नहीं कहा गया है, जबकि प्रस्तुत नजरी नक्शे में यह रास्ता खसरा नम्बर 270 के आगे खसरा नम्बर 274, 275 में भी दर्शाया गया है।

इसके अलावा मुख्य सड़क से बिजलीघर, खसरा नम्बर 281 तक जाने के लिये रास्ता चालू बताया है, परन्तु राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं है। प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने इस चालू रास्ते पर पड़ने वाले खेत खसरा नम्बर 273, 287 तथा 280 के खातेदारों से रास्ते की मांग नहीं की है। उक्त रास्ते के बन्द होने पर खसरा नम्बर 270 में से रास्ता दर्ज करने का कोई औचित्य नहीं है।

**7.** अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़ का आदेश दिनांक 28—03—2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि ग्राम लिखमीदेसर के खसरा नम्बर 293, 287, 280 व 274 तथा 275 में भी चालू रास्ते का विधि सम्मत तरीके से राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए नये सिरे से आदेश पारित करें।

**8.** निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 24—07—2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर